



उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-9
सं-१११/९-९-२०१७-१७०ज/२००६
लखनऊ दिनांक १० मई, २०१७

अधिसूचना

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्य विनियम) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2014) की धारा 36 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण करने और पथ विक्य किया—कलापों का विनियमन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्य विनियम) नियमावली, 2017

- | | | |
|--|--------------|---|
| संक्षेप नाम, विस्तार, १
और प्रारम्भ | (1) | यह नियमावली 'उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्य विनियम) नियमावली 2017 कही जायेगी। |
| | (2) | यह उत्तर प्रदेश राज्य के समरत नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में लागू होगी। |
| परिभाषायें | (3)
2 (1) | यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
जब तक विषय या संदर्भ से कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में— |
| | (क) | 'अधिनियम' का तात्पर्य पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्य विनियम) अधिनियम 2014 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2014) से है; |
| | (ख) | 'पथ विक्य प्रमाण पत्र' का तात्पर्य किसी पथ विक्रेता को ऐसे क्षेत्र जैसा, कि प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किया जाय, में पथ विक्य हेतु प्राधिकृत करने के लिए नगर पथ विक्य समिति द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र से है; |
| | (ग) | 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है; |
| | (घ) | "निदेशक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के निदेशक के रूप में नियुक्त अधिकारी से है। |
| | (ङ.) | 'अनुरक्षण शुल्क' का तात्पर्य पथ विक्य परिक्षेत्र में किरी पथ विक्रेता को उपलब्ध कराई गई नागरिक सुख साधनों और सुविधाओं के निमित्त नगर पालिका द्वारा अवधारित धनराशि से है। |
| | (च) | 'नगरपालिका' का तात्पर्य, गथास्थिति, नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत, से है; |

- (छ) 'पथ विक्य रहित परिक्षेत्र' का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, अवस्थिति या परिक्षेत्र अथवा उसके भाग जहाँ पथ विक्य गतिविधियों न चलाने की घोषणा की गई हो, से है।
- (ज) 'योजना' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 21 के अधीन तैयार की गई किसी योजना से है;
- (झ) 'प्रतिबन्धित पथ विक्य परिक्षेत्र' का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, अवस्थिति या किसी परिक्षेत्र अथवा उस के भाग, जहाँ कठिपय समयावधि के दौरान पथ विक्य की गतिविधियों की अनुमति दी जाय, से है।
- (ञ) "प्रतिबन्ध मुक्त पथ विक्य परिक्षेत्र" का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, अवस्थिति या किसी परिक्षेत्र या उसके भाग, जहाँ पथ विक्रेताओं को बिना किसी प्रतिबन्ध के पथ विक्य सम्बंधी कियाकलापों की अनुमति दी जाय से है।
- (ट) "स्कीम" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 38 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्मित स्कीम से है;
- (ठ) "पथ विक्य प्रभार" का तात्पर्य किसी पथ विक्रेता, जिसे पथ विक्य प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो द्वारा भुगतान किये गये प्रभार से है।
- (2) शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के बही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए कमशः समनुदेशित हैं।
- प्रतिषेध 3 (1) कोई भी व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पथ विक्य प्रमाण पत्र के बिना किसी सार्वजनिक स्थान या खुली भूमि पर विक्य के सम्बंध में कोई स्थान नहीं धेरेगा, कोई सामान सम्प्रदर्शित नहीं करेगा या नहीं लगायेगा अथवा पथ विक्य द्वारा सेवा या माल की विक्री नहीं करेगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति, पथ विक्य प्रमाण—पत्र में उल्लिखित क्षेत्रों या स्थानों से भिन्न किन्हीं क्षेत्रों या स्थानों में पथ विक्य द्वारा अथवा फेरी करके अपना सामान नहीं बेचेगा या सेवा नहीं प्रदान करेगा।
- (3) किसी पथ विक्रेता को ऐसे किन्हीं क्षेत्रों और स्थानों, जिनके लिए उनके पास नगर पथ विक्य समिति द्वारा प्रदत्त पथ विक्य प्रमाणपत्र न हो, में पथ विक्य कियाकलाप सम्बंधी कारोबार किये जाने का अधिकार नहीं होगा।
- नगर पथ विक्य 4 (1) अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में एक नगर पथ विक्य समिति का गठन किया जायेगा। समिति का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिये होगा; परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई नगर पथ विक्य समिति, अधिनियम और उसके अधीन बनाई गयी नियमावली और स्कीम के उपबंधों के अनुसार

कार्य नहीं कर रही है तो राज्य सरकार किसी नगर पथ विक्य समिति को भंग कर सकती है और उक्त समिति के भंग किये जाने के दिनांक से तीन माह के भीतर एक नयी नगर पथ विक्य समिति का गठन करेगी।

(2)

प्रत्येक नगर पथ विक्य समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(क) यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, जो

अध्यक्ष होगा;

(ख) सदस्य जिनकी संख्या निम्नलिखित होगी:-

(एक) नगर पंचायत के मामले में अनधिक दस,

(दो) नगरपालिका परिषद के मामले में अन्यून दस और अनधिक बीस और

(तीन) नगर निगम के मामले में अन्यून बीस और अनधिक चालीस;

(ग) गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा योग्यता के आधार पर पारदर्शी रीति से नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या दस प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(घ) नगर पलिका क्षेत्र के पथ विकेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, जिनका वयन नियम -5 के अधीन उपबंधित रीति से स्वयं में से किया जायेगा;

परन्तु पथ विकेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के एक तिहाई सदस्य महिला पथ विकेताओं में से होंगी।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों तथा निःशक्त पथ विकेताओं को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

(ङ.) शेष सदस्य, निम्नलिखित श्रेणियों में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे:-

(एक) अध्यक्ष, द्वारा नाम निर्दिष्ट नगर पालिका के सदस्य या पार्षद, जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी;

(दो) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी (जहाँ उपलब्ध हों),

(तीन) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा नामनिर्दिष्ट यातायात पुलिस का एक प्रतिनिधि;

- (वार) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट स्थानीय पुलिस का एक प्रतिनिधि, जो कि क्षेत्राधिकारी से कम रैंक का न हो;
- (पॉच) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर स्तरीय पंजीकृत बाजार संगठनों और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि, जिनकी सख्त्या दो से अधिक नहीं होगी;
- (छ) नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट स्थानीय कल्याण संघों से अनधिक दो सदस्य;
- (सात) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधि;
- (आठ) मुख्य प्रबन्धक द्वारा नाम-निर्दिष्ट लीड बैंक का एक प्रतिनिधि;
- (नौ) आवास आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश-आवास एवं विकास परिषद का एक प्रतिनिधि;
- (दस) किसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विकास प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि;
- (एयारह) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि;
- (बारह) राज्य लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि;
- (तेरह) उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विद्युत निगम का एक प्रतिनिधि;
- (चौदह) राज्य अग्नि शमन विभाग के पुलिस अधीक्षक (अग्निशमन) द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य अग्निशमन विभाग का एक प्रतिनिधि;
- (पन्द्रह) यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट नगरपालिका का एक अधिकारी जो सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (3) यदि राज्य सरकार की राय में नगर पथ विकाय समिति का कोई सदस्य अधिनियम या इस नियमावली द्वारा उसके अधीन अधिरोपित अपने कर्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक करता है अथवा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उस सदस्य को नगर पथ विकाय समिति से हटा सकती है।



पथ विक्रेताओं के 5 मध्य निर्वाचन की रीति

(1)

पथ विक्रेताओं से कोई सदस्य निम्नलिखित रीति से निर्वाचित किया जायेगा:-

- (क) सम्बंधित नगरपालिका ऐसी नगर पालिका में प्रसारण वाले किन्हीं दो प्रमुख दैनिक सामाचार पत्रों में, नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिये पथ विक्रेताओं के पंजीकृत संघों से आवेदन—पत्र आहूत करने के लिए सूचना प्रकाशित करेगी। सूचना की एक प्रति उक्त नगरपालिका की अधिकारिता के अधीन आने वाले स्थानीय बाजारों के सहजदृष्ट स्थानों पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
- (ख) अन्य बातों के साथ पूर्वोक्त सूचना में सूचना के प्रकाशन का दिनांक, आवेदन पत्र का प्रपत्र अन्तिम दिनांक, और आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की रीति अन्तर्विष्ट होगी।
- (ग) पूर्वोक्त सूचना, नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए आवेदन—पत्र जमा करने के अन्तिम दिनांक से तीस दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी।
- (घ) कोई व्यक्ति, किसी संघ का सदस्य होने पर, परिचय प्रमाण पता और चरित्र प्रमाण—पत्र के साथ नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए अपने संघ में आवेदन कर सकता है।
- (ङ) पथ विक्रेताओं का संघ खण्ड (घ) के अधीन तदनिमित्त आवेदित सदस्यों में से अपने सदस्यों को निर्वाचित कर सकता है और नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिये संस्तुति कर सकता है।
- (च) नगरपालिका, खण्ड(ङ) के अधीन संस्तुत आवेदकों के विवरण, विशेष रूप से नगरपालिका की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले पथ विक्रय क्षेत्र में कार्य अनुभव का व्यौरा और ऐसे अन्य विवरण जिसे वह उचित समझे के संबंध में सूचनायें प्राप्त करेगी।
- (छ) खण्ड (ङ.) में निर्दिष्ट संस्तुतियों प्रस्तुत होने पर, नगर आशुक्त या अधिकारी अधिकारी प्रत्येक संस्तुत आवेदक को एक विशेष आवेदन—पत्र संख्या आवंटित करेगा और पथ विक्रेता संघों के साथ साथ सभी आवेदकों को संसूचित करेगा।
- (ज) यदि प्राप्त संस्तुतियों अपेक्षित संख्या से अधिक हों तो नगरपालिका अपेक्षित सदस्यों का चयन लॉटरी के आधार पर करेगी। ऐसी लाटरी हितबद्ध पक्षों की उपस्थिति में सम्पन्न की जायेगी।
- (झ) नगरपालिका, पूर्वोक्त सूचनायें और नगर पथ विक्रय समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की सूची भी अपने वेबराइट पर प्रकाशित करेगी तथा इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेगी।

नगर पथ विक्य 6
समिति के कृत्य

(ज) नगर पथ विक्य समिति की रचना, सम्बन्धित नगरपालिका की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी और इस सम्बन्ध में एक प्रेस नोट जारी की जायेगी।

(2) नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी उपनियम (1) के अधीन निहित उद्देश्य के लिये नगर पालिका के तीन अधिकारियों की एक समिति स्थापित कर सकता है।

नगर पथ विक्य समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) अपनी अधिकारिता के अधीन रिथत सभी विद्यमान पथ विकेताओं का सर्वेक्षण संचालित करना और, पथ विक्य परिक्षेत्र की धारण क्षमता और प्रतिमानों के अध्याधीन पथ विक्य परिक्षेत्र में उनको रथान देना सुनिश्चित करना;

(ख) ऐसी निबन्धन और शर्तों के अध्याधीन और पथ विकेताओं की योजना में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों को सम्मिलित करते हुए ऐसी अवधि, जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट हो के अन्तर्गत पथ विक्य प्रमाण-पत्र जारी करना;

(ग) जहाँ पथ विकेता पथ विक्य के विनियमन के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं निबन्धन या शर्तों का उल्लंघन करता है वहाँ उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात उसके पथ विक्य प्रमाण-पत्र को निरस्त या निलम्बित करना;

(घ) प्रत्येक पथ विकेता, जिसे पथ विक्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा चुका है को परिचय पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करना;

(ङ.) नगरपालिका द्वारा पथ विकेताओं को दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं का अनुश्रवण करना;

(च) बिना प्रतिबन्ध के पथ विक्य क्षेत्र, दिनांक, दिवस और समय से सम्बन्धित प्रतिबन्धित क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों, जिन्हें पथ विक्य रहित परिक्षेत्र चिह्नित किया जायेगा, के सीमांकन के लिए नगरपालिका को संस्तुति करना;

(छ) अधिनियम की 'प्रथम अनुसूची' में अन्तर्विष्ट विषय वस्तु को आच्छादित करते हुए पथ विकेताओं के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु योजना तैयार करने के लिए नगर पालिका को संस्तुति करना;

(ज) प्राकृतिक बाजारों के अवधारण के लिए नगरपालिका को संस्तुति करना;

(झ) पथ विक्य के लिए निबन्धन एवं शर्तों को नियंत करना,

(ञ) शुल्क और अन्य प्रभारों को संग्रह करना;

(ट) पथ विकेताओं को कोई क्षेत्र या कोई स्थान या कोई

- अवस्थिति उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मानकों का विनिश्चय करना;
- (ठ) साप्तहिक बाजारों की निरन्तरता और उनका उच्चीकरण सुनिश्चित करना;
- (ड) अधिनियम की धारा 38 के अधीन बनाई गई पथ विकाय स्कीम के क्रियान्वयन और निष्पादन का अनुश्रवण करना;
- (ढ) समय—समय पर पथ विकाय शुल्क नियत करना;
- (ण) नगरपालिका या राज्य सरकार को समय समय पर विवरणी या वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;
- (त) पथ विकेताओं के अभिलेख विस्तृत रूप से अनुरक्षित और अद्यावधिक रखना;
- (थ) पथ विकेता चार्टर प्रकाशित करना,
- (द) उसके क्रियाकलापों की सामाजिक सम्परीक्षा क्रियान्वित करना;
- (ध) पथ विकेताओं को साथ बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी स्कीमों को उपलब्ध कराने सम्बंधी प्रोन्नायन उपायों को अपनाने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति भेजना;
- (न) प्रत्येक पथ विकाय परिक्षेत्र में अधिकतम धारण क्षमता का मूल्यांकन और अवधारण करना;
- (ए) नगरपालिका में पथ विकेताओं की संस्था में सुनिश्चित कर्मी के मूल्यांकन के लिए समय—समय पर सर्वेक्षण/जनगणना करना;
- (फ) यह सुनिश्चित करना कि जनता को उपलब्ध कराये गये उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता नगरपालिका तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित लोक स्वास्थ्य, आरोग्य और सुरक्षा के मानकों के अनुरूप है;
- (ब) नगर/शहर/बाजार निर्माण दिवस आदि सहित महत्वपूर्ण अवसरों, अवकाशों को मनाने के लिए साप्तहिक बाजारों, त्योहारी बजारों, रात्रिकालीत बजारों के संघों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सुविधा प्रदान करना;
- (म) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे चल पथ विकेता जिन्हें स्टाल/पथ विकाय स्थल/पथ विकाय क्षेत्र आवंटित हैं, वे वास्तव में उनका उपयोग कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना कि इन्हें किराये पर नहीं दिया गया हो या न बेचा गया हो,
- (म) कोई अन्य कृत्य जैसा कि राज्य सरकार या सम्बंधित नगर पालिका द्वारा समय समय पर

नगर पथ विक्य 7 (1)
समिति की बैठक

समनुदेशित किया जाय।
कारबार के सम्बवहार के लिए नगर पथ विक्य समिति की बैठक, प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन माह में उस स्थान और उस समय, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय, नगर पालिका की अधिकारिता के अन्तर्गत की जायेगी।

(2) स्थगित की गई बैठक के अलावा प्रत्येक बैठक में सम्बवहृत किये जाने वाले कारबार की सूची, नगर पथ विक्य समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए नियत किये गये समय से कम से कम अडतालिस घण्टे पूर्व भेज दी जायेगी।

परन्तु यदि कारबार की सूची डाक द्वारा भेजी जाय तो इसे इस प्रकार भेजी जाय कि उसे सदस्यों को निर्धारित समय के भीतर तामील की जा सके।

(3) नगर पथ विक्य समिति का अध्यक्ष, जब उचित समझे, समिति की बैठक आहूत कर सकता है और समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अधियाचन किये जाने पर समिति की बैठक आहूत करेगा।

(4) नगर पथ विक्य समिति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें नगर पथ विक्य समिति के परिधि की विषय-वस्तु के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो, को सहयुक्त कर सकती है और उसे या उन्हें वह भत्ता जो रामिति द्वारा अवधारित किया जाय, संदर्भ कर सकती है।

(5) नगर पथ विक्य समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित पथ विक्रेताओं और पदाधिकारियों के अतिरिक्त नियम-4 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और (ग) के उपबंधों के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों को नगर पथ विक्य समिति ऐसा भत्ता दे सकती है जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

समिति की किसी बैठक में तब तक कोई कारबार संबवहृत नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्पूर्ण बैठक तक समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपरिथित न रहें।

(1) समिति द्वारा विचारार्थ और विनिश्चय किये जाने हेतु अपेक्षित समस्त विषय, बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

(2) मामले की अत्यावश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समिति, कार्य सूची के परिचालन द्वारा विनिश्चय कर सकती है।

(3) समिति की अगली बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि की जायेगी।

(4) नगर पथ विक्य समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए यथारिथति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी किसी ऐसे एक अधिकारी को पदाभिहित करेगा, जो समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

गणपूर्ति

8

नगर पथ विक्य 9
समिति की बैठक में
विनिश्चय

नगर पथ विक्य 10
समिति के लिये
कार्यालय, स्थल,
कर्मचारी वर्ग, और
सचिव का उपबंध
किया जाना
उपसमितियॉ

11 (1)

नगर पालिका, नगर पथ विक्य समिति को पर्याप्त उपस्कर
सहित समुचित कार्यालय, स्थल, पर्याप्त संख्या में कर्मचारी
और समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए एक
अधिकारी का उपबंध करेगी।

पथ विक्रेताओं का 12 (1)
सर्वेक्षण

(2)

नगर पथ विक्रेता समिति अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के
लिए एक या अधिक उपसमितियॉं का गठन कर सकेगी।
उपनियम (1) के अधीन गठित किसी उपसमिति के पास
ऐसे अधिकार होंगे और वह ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी
जैसा कि नगर पथ विक्रेता समिति, समय समय पर
प्रतिनिधानित करे या प्रदान करे।

पथ विक्रेताओं का 13 (1)
पंजीकरण

(2)

नगर विक्य समिति, अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के
अनुसार नगर पालिका की अपनी अधिकारिता के अधीन
आने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं का
सर्वेक्षण संचालित करेगी।

(2)

सर्वेक्षण, प्रपत्र-1 में परिक्षेत्र, वार्ड और बाजार के अनुसार
किया जायेगा और सभी ऑकड़े डिजिटल रूप में संग्रहीत
किये जायेंगे।

(2)

प्रत्येक नगर पालिका में नियम 11 के अधीन किये गये
सर्वेक्षण के अधीन अभिज्ञात सभी पथ विक्रेताओं को पहचान
के विश्वसनीय श्रोतों के आधार पर नगर पथ विक्य समिति
द्वारा नियत किसी साधारण शुल्क पर पंजीकृत किया
जायेगा।

(2)

जो पहली बार पथ विक्य कार्य कराना चाहते हैं, उन्हें पथ
विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा
परन्तु इसके लिए उन्हें शपथ पूर्वक यह बयान देना होगा
कि उनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है
और वे पथ विक्य स्थल से अपने परिवार के सदस्यों की
सहायता से व्यक्तिगत रूप से इस संचालित करेंगे। पथ
विक्य परिक्षेत्र में रथान की उपलब्धता के अध्यधीन उन्हें
पथ विक्य प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

(3)

पथ विक्रेताओं को प्रपत्र-2 में पंजीकृत करने का अधिकार,
नगर पथ विक्य समिति या उसके द्वारा इस निमित्त
प्राधिकृत किसी अधिकारी में निहित होगा।

(4)

प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात पंजीकरण को नवीकृत किया जा
सकेगा।

(5)

सर्वेक्षण में अभिज्ञात पथ विक्रेताओं, जिन्होंने आवेदन के
दिनांक को चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, को
पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

(1)

नियम-11 के अधीन किये गये सर्वेक्षण में अभिज्ञात और
नियम 12 के अधीन पंजीकृत प्रत्येक पथ विक्रेता को, नगर
पथ विक्य समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत

पथ विक्य प्रमाण पत्र
का जारी किया जाना

14 (1)

नगरपालिका के किसी अधिकारी द्वारा पथ विक्य प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

- (2) प्रत्येक पथ विक्रेता, अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करेगा।
- (3) पथ विक्य प्रमाण पत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के अधीन जारी किया जायेगा, अर्थात् –
 - (क) स्थिर विक्रेता, या
 - (ख) चल विक्रेता, या
 - (ग) साप्ताहिक बाजार का विक्रेता, या
 - (घ) कोई अन्य श्रेणी जैसा कि रकीम में विनिर्दिष्ट हो अथवा जैसा कि नगर पथ विक्य रागिति द्वारा अवधारित किया जाय।
- (4) निबन्धन और शर्तें, जिन पर प्रपत्र-2 में वचनपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात पथ विक्य प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, निम्नवत हैं:—
 - (एक) स्थिर पथ विक्य के लिए स्थायी संरचना निर्माण करने पर रोक रहेगी;
 - (दो) पथ विक्रेता, नगरीय पथ विक्य समिति द्वारा यथा अवधारित शुल्क का नियमित रूप से और समय पर संदाय करेगा;
 - (तीन) पथ विक्य के दौरान जनित अपशिष्ट, सड़क, फुटपाथ या नाली या गलनाली में नहीं फेंका जायेगा। अपशिष्ट डस्टबिन में एकत्र किया जायेगा और घर-घर से अपशिष्ट एकत्र करने वाली नगरपालिका द्वारा अधिकृत अग्रिकरण को हस्तगत कराया जायेगा। इस सेवा हेतु उन्हें मासिक प्रयोक्ता प्रभार का भुगतान करना होगा।
 - (चार) प्रत्येक पथ विक्रेता, विक्य-स्थल और उसके संलग्न क्षेत्रों में स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा। खाद्य पदार्थ बेचनेवाले पथ विक्रेता लोक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता को अनुरक्षित रखेंगे।
 - (पाँच) पथ विक्य प्रमाण-पत्र में आबंटित स्थल और उल्लिखित समय पर ही पथ विक्य किया जायेगा। इसका किसी प्रकार का उल्लंघन अधिनियम और उक्त रकीम का उल्लंघन भाना जायेगा और पथ विक्रेता अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवधारित शास्ति, जिसमें पथ विक्य प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण भी समिलित है, का दायी होगा।
 - (छ) पथ विक्रेता नागरिक सुविधाओं का अनुरक्षण और पथ विक्य परिक्षेत्र तथा संलग्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
 - (सात) पथ विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि पथ विक्य की गतिविधियों के कारण यातायात/वाहनों का सुगम संचालन हो और लोक सुविधायें बाधित न हो।

- (आठ) पथ विकेता प्रतिबन्धित वस्तुओं को नहीं बेचेंगे। वे ऐसी कोई गतिविधि/कार्य/व्यापार/सेवा—कार्य नहीं करेंगे जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हों या लोक बाधा/उपताप उत्पन्न करते हों।
- (नौ) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की, धारा 18 के उपबंधों के अधीन रथान की उपलब्धता के आधार पर निकटवर्ती पथ विक्य परिक्षेत्र में पथ विकेता को पुनर्स्थापित किया जाय।
- (दस) पैदल उपरिगामी सेतुओं और फ्लाईओवर पर कोई पथ विक्य सम्बंधी कियाकलाप नहीं किया जायेगा;
- (ग्यारह) पूजा रथल के बाहर पथ विकेताओं को पथ विक्य सम्बंधी कियाकलाप करने और देवी—देवता को चढ़ाने हेतु भक्तों द्वारा अपेक्षित सामग्रियों यथा पुष्ट, चंदन, काष्ठ, मोमबत्ती, अगरबत्ती, नारियल, चादर और मिष्ठान आदि का विक्य करने की अनुमति दी जा सकती है। नगर पथ विक्य समिति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस सम्बंध में विनिश्चय कर सकती है और पथ विकेताओं को इन निर्बंधनों और अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, विकलांग जनों, और अल्प संख्यकों के पथ विकेताओं को पथ विक्य प्रमाण पत्र जारी करने में अधिमान दिया जायेगा।
- (6) पथ विक्य प्रमाण पत्र पांच वर्षों के लिये जारी किया जायेगा। यदि सभी निबन्धन और शर्तों का सच्चाई से अनुपालन किया गया हो और अधिनियम और नियमावली का उल्लंघन न किया गया हो तो पथ विक्य प्रमाण पत्र आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया जायेगा।
- (7) प्रत्येक पथ विकेता, जिसे पथ विक्य प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, नगर पालिका को ऐसे पथ विक्य शुल्क का भुगतान करेगा, जैसा कि नगर पथ विक्य समिति द्वारा स्थानीय स्थितियों और पथ विकेताओं की श्रेणियों को दृष्टिगत रखते हुए नियत किया जाय।
- (8) प्रत्येक पथ विकेता नगर पालिका को पथ विक्य परिक्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई नागरिक सुख साधनों और सुविधाओं के लिए समय—समय पर ऐसे अनुरक्षण शुल्कों का भुगतान करेगा जैसा कि नगरपालिका द्वारा अवधारित किया जाय।
- (9) जहाँ किसी पथ—विक्य परिक्षेत्र में पथ—विकेताओं की संख्या उस परिक्षेत्र की धारणक्षमता से अधिक पाई जाय वहाँ नगर पथ विक्य समिति, उस पथ—विक्य परिक्षेत्र हेतु पथ—विक्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लाटरी निकालेगी। शेष पथ—विकेताओं को किसी पाश्वर्वर्ती पथ विक्य परिक्षेत्र, जहाँ पथ विक्य के लिये समुचित स्थान

विक्य परिक्षेत्रों का 15 (1) सीमांकन

उपलब्ध हो, मैं स्थान दिया जायेगा।

नगर पथ विक्य समिति की संस्तुति पर नगर पालिका द्वारा प्रत्येक नगर पालिका में कुछ क्षेत्रों, स्थानों, वार्डों या परिक्षेत्रों या उनके आंशिक भाग को प्रतिबन्ध मुक्त पथ विक्य परिक्षेत्र, प्रतिबन्धित पथ-विक्य परिक्षेत्र और पथ-विक्य रहित परिक्षेत्र घोषित किया जा सकेगा।

(2) स्थिर पथ-विकेताओं, जो किसी विशिष्ट स्थान पर नियमित आधार पर पथ विक्य कियाकलाप करते हों, के लिए सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा पथ-विक्य स्थलों और पथ विकेता बाजारों का विनिश्चय किया जायेगा।

(3) प्रत्येक नगर पालिका में चल पथ-विकेताओं के लिए एक या अधिक वार्डों को मिलाकर पथ-विक्य परिक्षेत्र होंगे जहाँ वे अपनी वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर धूम-धूम कर पथ विक्य करते हुए अभिहित क्षेत्रों में पथ विक्य सम्बंधी कियाकलाप कर सकेंगे।

(4) कतिपय स्थान, क्षेत्र, वार्ड या परिक्षेत्र प्रतिबन्धित पथ-विक्य परिक्षेत्र के रूप में अभिहित किये जा सकेंगे जहाँ पथ-विकेता सम्बन्धित समय और दिन आदि में किसी प्रकार का विक्य सम्बंधी कियाकलाप नहीं कर सकेंगे।

(5) कतिपय स्थल, क्षेत्र, वार्ड या परिक्षेत्र पथ-विक्य रहित परिक्षेत्र के रूप में अभिहित किये जा सकेंगे जहाँ विक्य सम्बंधी कियाकलाप पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।

(6) नगर पालिका स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं, व्यावहारिकताओं और तर्काधार को धृष्टिगत रखते हुए, विक्य परिक्षेत्रों के सीमांकन के उद्देश्यों से उपविधियों बना सकेगी।

शहर/नगर की महायोजना में, महायोजना, परिक्षेत्रीय योजनाओं और स्थानीय क्षेत्र की योजनाओं का अन्तिम रूप देते समय या उनका पुनरीक्षण करते समय नये पथ-विक्य बाजार बनाने के लिए विशिष्ट उपबंध किये जायेंगे। ऐसी योजनाओं में आरक्षित स्थान पथ विकेताओं की वर्तमान संख्या और पूर्वगामी पॉच वर्षों की वृद्धिदर पर आधारित भावी वृद्धिदर के अनुरूप होना चाहिए।

पथ-विक्य प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण या निलम्बन, नगर पथ विक्य समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) यदि किसी पथ-विकेता द्वारा किसी समय विहित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है अथवा उसके पथ विक्य कियाकलापों से यातायात के संचालन में व्यवधान या उपताप सत्यापित हो जाता है तो पथ-विक्य प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकता है और आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

(3) जहाँ पथ-विक्य प्रमाण पत्र धारक, अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या स्कीम में विनिर्दिष्ट किसी भी

नये पथ विक्य 16 बाजार बनाने का उपबंध

पथ विक्य प्रमाण पत्र 17 (1) का निरस्तीकरण या निलम्बन

पथ विकेता का 18 (1)
दायित्व

- निबन्धन और शर्त को भंग करता है या दुर्व्यपदेशन, कपट अथवा कूट-रचना के माध्यम से पथ विक्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या कोई वस्तु जो भी हो, यथा स्थिति उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी सार्वजनिक स्थान या किसी सार्वजनिक पथ पर फेंकी गयी हो या विक्य के लिए खुली रखी गयी हो, वहां नगर पथ विक्य समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी जॉच और अनुसंधन की अवधि में उस समय तक जितना वह उचित समझे पथ विक्य प्रमाण पत्र निलम्बित कर सकेगा अथवा प्रपत्र-4 में उसको कारण बताओ नोटिस जारी करने और सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात पथ विक्य प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगा। प्रत्येक पथ विकेता को पथ-विक्य प्रमाण पत्र में उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों के अनुसार पथ-विक्य कियाकलाप सम्बंधी कारबार करने का अधिकार होगा।
- (2) प्रत्येक पथ विकेता, जिसके पास पथ-विक्य प्रमाण पत्र हो, अपने पुनः स्थान निर्धारण की स्थिति में अपने पथ विक्य-कियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिये नगर पथ विक्य समिति के परामर्श से नगरपालिका द्वारा यथा अवधारित, यथा स्थिति, नये स्थल या क्षेत्र के लिए हकदार होगा।
- (3) जहाँ कोई पथ विकेता समयांश के आधार पर स्थान घेरता है, वहाँ उसे प्रतिदिन अनुमन्य रागयांश अवधि की समाप्ति पर अपनी वस्तुएं और सामग्री हटानी होगी।
- (4) प्रत्येक पथ विकेता, पथ-विक्य परिक्षेत्र में नागरिक सुविधायें और लोक सम्पत्तियों को अच्छी स्थिति में अनुरक्षित रखेगा और उन्हें क्षतिग्रस्त या विनष्ट नहीं करेगा, और न ही क्षतिग्रस्त या विनष्ट करने देगा।
- (5) प्रत्येक स्थिर पथ-विकेता को, पथ विक्य परिक्षेत्र में जहाँ समुचित रूप से उपलब्ध हो, 2 मीटर X 2मीटर से अनधिक क्षेत्र, इस रीति से उपलब्ध कराया जा सकेगा कि यानीय और पैदल यातायात में बाधा उत्पन्न न हो और दूकानों तथा आवासों तक की पहुँच बन्द न हो।
- (6) पैदल सेतुओं, उपरिगामी सेतुओं और फ्लाई ओवर के ऊपर पथ-विक्य कियाकलाप नहीं किया जायेगा।
- (7) कोई पथ-विकेता जनता अथवा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई वाद्ययन्त्र या संगीत बजाकर कोई शोर उत्पन्न नहीं करेगा।
- (8) प्रत्येक पथ विकेता, अपने पथ विक्य स्थलों की सफाई के लिए नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों तथा नगरपालिका का कोई कार्य करने के लिए नगरपालिका के अन्य कर्मचारी-वर्ग को भी पूर्ण सहयोग देगा।
- (9) प्रत्येक पथ विकेता को अपना परिवेश शुद्ध एवं स्वच्छ



पथ विक्रेता का 19 पुनर्स्थापन

- रखना होगा।
- (10) पथ-विक्रय क्षेत्र या स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (11) कोई पथ विक्रेता प्रतिबन्धित वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा।
- (1) पथ विक्रेता, जो पथ-विक्रय प्रमाण पत्र धारित करता हो, नगर पालिका द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकेगा यदि:-
- (क) किसी लोक प्रयोजन के लिए वार्ड या उसका आंशिक भाग या स्थान, पथ-विक्रय रहित परिक्षेत्र घोषित किया जाता है;
 - (ख) नागरिक सुविधाओं या अन्य अवसंचनाओं के अनुरक्षण के लिए निर्माण और विकास का कार्य किया जाता है;
 - (ग) यातायात और परिवहन में बाधा, अवरोध और विध्न उत्पन्न हो;
 - (घ) कानून और व्यवस्था बनाये रखने की स्थिति उत्पन्न होती है;
 - (ङ.) पथ-विक्रय परिक्षेत्र में पथ-विक्रेताओं की संख्या धारण क्षमता से अधिक हो;
 - (च) यातायात और परिवहन का दबाव और वहाँ पर भीड़भाड़ हो;
 - (छ) कोई अन्य कारण हो जो नगर पथ-विक्रय समिति की दृष्टि में उचित हो।
- (2) पुनर्स्थापन, स्थान की उपलब्धता परिवहन यातायात संचारण और जनसंख्या-घनत्व की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। नगरपालिका, नगर पथ-विक्रय समिति की संस्तुति पर उपरोक्त मानदण्ड और स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में क्षेत्र की धारण क्षमता अवधारित करेगी।
- (3) पथ विक्रेताओं के पुनर्स्थापन की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए की जायेगी:-
- (क) स्थान जिसके लिए पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, अत्यावश्यक लोक प्रयोजनों के लिए अत्यधिक रूप से अपेक्षित हो।
 - (ख) पथ-विक्रेता का पुनर्स्थापन इस प्रकार किया जायेगा कि वह कम से कम अपनी आजीविका अनुरक्षित रखे।
 - (ग) जहाँ तक सम्भव हो, पथ विक्रेता की आस्तियां बिनष्ट न की जायें।
 - (घ) पथ विक्रेता को उचित विधि प्रक्रिया से मिन्न रूप में पुनर्स्थापित नहीं किया जायेगा;
 - (ङ.) प्राकृतिक बाजार, जहाँ पचास वर्षों से अधिक समय से पथ विक्रय सम्बंधी कियाकलाप किये जा रहे हों,



विरासत वाले बाजारों के रूप में घोषित किये जा सकते हैं और उनमें पथ-विक्रय सम्बंधी कियाकलाप करने वाले पथ-विक्रेताओं को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है;

- (च) किसी पथ विक्रेता के पुनर्स्थापन के लिए उसे प्रपत्र-5 में तीन दिवस की नोटिस दी जायेगी;
- (छ.) किसी ऐसे पथ विक्रेता जो नोटिस गें उल्लिखित समय के अन्तर्गत स्थान को रिक्त करने में विफल रहता है को बलपूर्वक उस स्थान से पुनर्स्थापित किया जायेगा जैसाकि नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।

पथ विक्रेता की 20 बेदखली

नगरपालिका द्वारा किसी पथ विक्रेता को बेदखल किया जा सकता है, यदि:-

- (क) उराका पथ विक्रय प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 10 के अधीन रद्द किया जा चुका हो;
- (ख) उसके पास विधिमान्य पथ विक्रय प्रगाण पत्र न हो;
- (ग) वह बिना पथ विक्रय प्रमाण पत्र के पथ विक्रय सम्बंधी कियाकलाप करता हुआ/करती हुई पाया जाय/पायी जाय;
- (घ) वह अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन किया हो/की हो;
- (ड.) नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उचित और न्यायसंगत समझे।
- (2) किसी पथ विक्रेता को प्रपत्र-6 में एक माह की नोटिस दिये जाने के पश्चात् ही बेदखल किया जायेगा।
- (3) यदि कोई पथ विक्रेता उपनियग (2) के अधीन नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है और स्थान रिक्त नहीं करता है तो नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उसे भौतिक रूप से बलपूर्वक, जैसा कि उचित समझा जाय बेदखल कर देगा।
- (1) यदि कोई पथ-विक्रता स्थान रिक्त किये जाने की नोटिस का अनुपालन नहीं करता है तो एक माह की समाप्ति के पश्चात् नगर पालिका उस पथ विक्रेता के वस्तुओं को अभिगृहीत भी कर सकती है;
- (2) वस्तुओं को, अभिगृहीत और वापस लिये जाने की कार्यवाही अधिनियम की धारा 19 के उपबंधों के अधीन की जायेगी;
- (3) पथ विक्रेता अपने वस्तुओं को वापस लिये जाने के लिए यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी अथवा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है;
- (4) अभिगृहीत वस्तुओं को वापस लिये जाने के शुल्क का

वस्तुओं का अभिग्रहण 21 और वापस लिया जाना

अवधारण, नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नगर पालिका के किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा;

- (5) यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, उपनियम (4) के अधीन नियत शुल्क के भुगतान और पथ विक्रेता जिसकी वस्तुएँ अभिगृहीत की गयी हों से, एक वचनपत्र कि वह बेदखल किये गये रथान या परिक्षेत्र में स्थित किसी अन्य स्थान पर पथ-विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप नहीं करेगा प्राप्त करने के पश्चात वस्तुओं को मुक्त कर सकता है।

परिचय पत्र जारी 22 (1)
किया जाना

प्रत्येक पथ-विक्रेता, जिसे पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, को नगर पथ विक्रय समिति द्वारा प्राधिकृत नगर पालिका के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिचय-पत्र प्रपत्र-7 में जारी किया जायेगा।

- (2) परिचय पत्र पथ विक्रेता की जेब में रखा जायेगा और नगर पथ-विक्रय समिति या नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मॉग किये जाने पर दिखाया जायेगा। नगरपालिका द्वारा पथ-विक्रेताओं को पथ विक्रय परिक्षेत्र में उपलब्धता के अध्यधीन निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं:-

- (क) ठोरा अपशिष्ट निरतारण की सुविधा;
- (ख) रार्वजनिक प्रसाधनों की सुविधा;
- (ग) पेगजल की सुविधा;
- (घ) प्रकाश व्यवस्था की सुविधा;
- (ङ.) कोई अन्य सुविधा जो रामबंधित नगर पालिका द्वारा आवश्यक समझी जाय;

- (2) (क) किसी पथ-विक्रेता को वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सकता है जिससे कि उसे कारबार के संचालन में समर्थ बनाया जा सके। निजी अंशदानों और वित्तीय संरक्षणों संसाधनों से ऋण के माध्यम से स्वयं सहायता रागूहों द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा सकता है। अनुदान प्रदान किये जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है;

- (ख) पथ विक्रेताओं, जिन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो, के लिए सामूहिक बीमा योजना प्रारम्भ की जा सकती है;

- (ग) पथ विक्रेताओं की सामाजिक प्रारिथति के उन्नयन के लिए और सामाजिक सुरक्षा की कल्याणकारी योजनाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों, पथ विक्रेताओं समुदाय और संघों तथा अन्य कल्याणकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है।

- नगर पथ विकाय 24 (1) कोई व्यक्ति, जो नगर पथ विकाय समिति के विनिश्चय से व्यक्ति हो आदेश प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर यथारिथति महापौर या अध्यक्ष, को अपील प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) अपील दाखिल किये जाने के समय नगर पथ विकाय समिति के आदेश की प्रति और अन्य सुरक्षात अभिलेख और दस्तावेज उसके साथ संलग्न किये जायेंगे।
- (3) अपीलार्थी अपने कागज-पत्र यथारिथति महापौर या अध्यक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा और उसकी अभिरक्षीकृति प्राप्त करेगा।
- (4) सुनवाई का दिनांक नियत किया जायेगा और अपीलार्थी और साथ ही साथ नगर पथ विकाय समिति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए समन भेजा जायेगा।
- पथ विकेताओं की 25 (1) शिकायतों का निवारण और विवादों के समाधान की रीति शिकायतों के निवारण या विवादों के समाधान के लिए पथ-विकेता द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों पर विचार करने के प्रयोजनार्थ अधिशासी समिति या नगर पालिका द्वारा गठित समिति जिसमें नगर पालिका के यथारिथति महापौर या अध्यक्ष और नगरपालिका के दो अन्य सदस्य, सदस्य के रूप में होंगे, को आवदेन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) शिकायत या विवाद के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने पर समिति यथारिथति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, से प्रकरण पर आख्यायें और टिप्पणियाँ एकत्र करेगी और आवेदन पत्र की प्राप्ति से एक माह के भीतर उस विवाद के निरस्तारण के लिए कदम उठायेगी। इस सम्बंध में उठाये गये कदमों की संसूचना आवदेन को लिखित रूप से आवेदन पत्र प्राप्ति के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर दी जायेगी।
- (3) कोई व्यक्ति जो उपनियम (1) में गठित समिति के विनिश्चय से व्यक्ति हो उपनियम (2) के अधीन तदविषयक विवरण की संसूचना प्राप्ति से तीस दिवसों के भीतर नगर पालिका को अपील प्रस्तुत कर सकता है।
- (4) नगरपालिका अपीलार्थी को समन जारी करेगी और उसे एक माह के अन्दर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अगले एक माह में अपील का निस्तारण कर सकती है। इस नियमावली और उक्त अधिनियम में विहित उपबन्धों का अनुश्रवण निम्नलिखित रूपों पर किया जायेगा:-
- (क) नगर पथ-विकाय समिति इस नियमावली में उल्लिखित नीतियों और उपबन्धों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने के लिये उत्तरदायी होगी;
 - (ख) नगर पथ विकाय समिति अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी प्रत्येक स्थिर या चल या साप्ताहिक बाजार के पथ विकेता के संबंध में ऐसे अद्यावधिक सूचना की पंजिका अनुरक्षित रखेगा,

जिसमें ऐसे पथ विक्रेता का नाम, उसे आवंटित स्थान, उसके द्वारा किये जा रहे कारबार या पथ विक्रय-कार्य की प्रकृति, पथ विक्रय की श्रेणी, अपील का विवरण, शिकायतों का निवारण, विवादों का समाधान, पथ विक्रय शुल्क, पंजीकरण शुल्क, शास्ति, अनुरक्षण शुल्क प्रयोक्ता प्रभार, रोकड़ बही, और पथ विक्रेताओं से सुसंगत अन्य विवरण अन्तर्विष्ट हो।

- (ग) नगरपालिका नगर पथ विक्रय समिति की कार्यप्रणाली और क्रियाकलापों पर निरन्तर निगरानी रखेगी;
- (घ) नगर पथ विक्रय समिति का वार्षिक प्रतिवेदन, जिसमें निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होगा, यथाशक्य शीघ्र नगर पालिका के सम्मुख रखा जायेगा, जो तत्पश्चात् ऐसी कार्यवाही करेगी जैसा कि वह उचित रामङ्ग:-
 (एक) स्थिर, चल और साप्ताहिक बाजारों के पथ विक्रेताओं जिन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो की संख्या;
 (दो) संग्रहीत राजस्व (लेखाशीर्षकवार);
 (तीन) किये गये उन्नयन संबंधी उपाय और अन्य उपाय;
 (चार) प्राप्त और निरतारित अपीलों की संख्या;
 (पाँच) निरतारित शिकायतों और निपटाये गये विवादों की संख्या;
- (छ) उपगत व्यय;
- (सात) पथ विक्रेताओं के कल्याण और उनकी समुन्नति के लिए उठायें गये कदम;
- (आठ) सर्वोत्तम कार्य पद्धतियाँ (यदि कोई हो)
- (नौ) विषयगत कोई अन्य उपलब्धि;
- (ड.) नगर पथ विक्रय समिति, वार्षिक प्रतिवेदन नगरपालिका के अनुमोदन के पश्चात निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगी।

नगरीय स्थानीय निकाय का निदेशक:-

निदेशक, नगरीय 27
स्थानीय निकाय की
भूमिका

- (1) नियंत्रण, पर्यवेक्षण, समान्य अधीक्षण का प्रयोग और नगरपालिकाओं की स्कीम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगा/अनुश्रवण करेगा।
- (2) क्षेत्र स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन का सामयिक निरीक्षण करेगा;
- (3) स्कीम के क्रियान्वयन के निष्पादन की समीक्षा करेगा;
- (4) स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगरपालिका को आवश्यक निर्देश/दिशा निर्देश जारी करेगा;
- (5) नगर पालिका ~~द्वारा प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन की संतीक्षा~~ करेगा और स्कीम के सफल क्रियान्वयन के लिये निर्देश

- जारी करेगा;
- (6) स्कीम के क्रियान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन करायेगा;
- (7) स्कीम के उददेश्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार के साथ सम्पर्क रखेगा;
- (8) नगरपालिका द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन की अवधि में उत्पन्न विवादों के संबंध में निर्दिष्ट किये गये प्रकरणों में अन्तिम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा;
- (9) राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये/प्रतिनिधानित किसी अन्य कृत्य का निस्तारण करेगा।
28. राज्य नोडल अधिकारी को पदाभिहित किया जाना निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय को विवाद और प्रश्नों का निर्दिष्ट किया जाना
29. अपराधों का शमन
30. (1) नगर पथ-विकाय समिति की अधिकारिता के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में और अन्य मामलों के संबंध में उठने वाले विवाद या प्रश्न की स्थिति में, विवाद या प्रश्न निदेशक, स्थानीय नगरीय निकाय को निर्दिष्ट किये जायेंगे, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
पथ विक्रेता, जो इस नियमावली या उसके अधीन बनाई गई स्कीम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा को प्रत्येक अपराध के लिये अन्यूनएक हजार पाँच सौ रुपये और अनधिक दो हजार रुपये जैसा कि नगर पालिका द्वारा अवधारित किया जाय, के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
- (2) उपनियम (1) मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन प्रशमन शुल्क के रूप में एक हजार रुपये की धनराशि वसूल किये जाने पर नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।



(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

निकाय का नाम.....

कर्गांक.....

**पथ विक्रेता के लिये सर्वेक्षण प्रपत्र
(नियम-12 देखें)**

पथ विक्रेता की
रंगीन पासपोर्ट
साइज की
अद्यतन फोटो

1. नाम.....

2. लिंग.....

3. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम.....

4. पता — (एक) स्थानीय

..... (दो) स्थानीय

5. आयु.....

6. पहचान-पत्र (यदि उपलब्ध हो).—(एक) पहचान पत्र संख्या.....

(दो) निर्गमन प्राधिकारी का पदनाम.....

7. दूरभाष संख्या(यदि उपलब्ध हो).....

8. धर्म.....

9. अहतारं.....

10. बैंक खाता संख्या (यदि कोई हो)..... बैंक का नाम.....

11. परिवार के सदस्यों का विवरण—

कर्गांक	नाम	आयु	पथ विक्रेता से सम्बन्ध

12. पथ विक्रय का विवरण—

कर्गांक	कारबार का नाम	कारबार का स्थान	कारबार में अनुभव	कारबार में प्रवेश का तिथि	कारबार में विनिधानित धनराशि	मासिक आय	कारबार की अवधि	अन्य

13. पथ विक्रय की श्रेणी (चल/स्थिर)/साप्ताहिक बाजार.....

(क) स्थिर पथ विक्रय:-

(एक) यदि स्थिर पथ विक्रय करते हैं तो दुकान लगाने का स्थान, मुहर्ला एवं वार्ड.....

(दो) चौहदवी.....

(तीन) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर पथ विक्रय किया जाता है.....

(चार) विक्रय की जा रही वस्तु/सेवा का नाम.....

(ख) चल पथ विक्रय:-

(एक) यदि चल पथ विक्रय है तो कहाँ से कहाँ तक पथ विक्रय करते हैं.....

- (दो) चल पथ विक्य किस प्रकार करते हैं (ठेले पर/साइकिल पर/सिर पर सामान रखकर/
अन्य).....
- (तीन) विक्य की जा रही वस्तु/सेवा का नाम.....
- (ग) साप्ताहिक बाजारों हेतु पथ विकेता:-
- (एक) दिवसवार साप्ताहिक बाजारों का विवरण.....
- (दो) प्रत्येक साप्ताहिक बाजारों के स्थान, मुहल्ला और घार्ड का नाम.....
- (तीन) प्रत्येक साप्ताहिक पथ विक्य बाजार की सीमा.....
- (चार) पथ विक्य उत्पादों/सेवाओं का नाम.....
14. (एक) क्या राशन कार्ड उपलब्ध हैं ? हां नहीं.....
 (दो) यदि हां, तो वह गरीबी रेखा के नीचे का है अथवा नहीं ? हां..... नहीं.....
 (तीन) राशन कार्ड संख्या तथा जारी करने वाले कार्यालय का नाम.....
- 15 श्रेणी क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला
/शारीरिक रूप से विकलांग से संबंधित हैं?
16. अन्य विवरण
- सर्वेक्षणकर्ता का नाम..... सर्वेक्षण की तिथि..... पथ विकेता के हस्ताक्षर.....

निकाय का नाम.....

कमाक.....

पथ विकेताओं के पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र / वचनवद्धता
(नियम-12देखें)

पथ विकेता
रंगीन पासपोर्ट
साइज की
अद्यतन फोटो

1. नाम.....
2. लिंग.....
3. पिता / माता / पति / पत्नी का नाम.....
4. पता - (क) स्थानीय
(ख) स्थायी
5. आयु.....
6. परिचय-पत्र (यदि उपलब्ध हो).-(क) परिचय पत्र संख्या.....
(ख) परिचय पत्र का प्रकार.....
7. दूरभाष संख्या(यदि उपलब्ध हो).....
8. अर्हता.....
9. परिवार के सदस्यों का विवरण—

कमाक	नाम	आयु	पथ विकेता से सम्बन्ध
.....

10. **पथ विक्य का विवरण—**

कमाक	कारबार का नाम	कारबार का स्थान	कारबार का अनुभव	कारबार में प्रवेश करने की तिथि	कारबार में निधानित धनराशि	मासिक आय	कारबार की अवधि	अन्य
.....

11. पथ विक्य की श्रेणी (चल / स्थिर / साप्ताहिक बाजार का पथ विकेता) :-
(एक) यदि स्थिर है तो स्थान, मुहल्ला एवं वार्ड, भूमि का क्षेत्रफल और वस्तुओं के नाम.....
(दो) यदि चल है तो मुहल्ला / वार्ड, वस्तुओं का नाम और प्रकार.....
12. पथ विक्य की अवधि—.....
13. राशन कार्ड की संख्या और जारी करने वाले कार्यालय का नाम—
14. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग /
अल्पसंख्यक / शारीरिक रूप से विकलांग, महिला हैं तो प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें—.....
15. पंजीकरण शुल्क

वचनवद्धता (अण्डरटेकिंग)

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री घोषणा करता / करती हूँ कि —
(एक) मैं पथ विक्य का कारबार रख्यं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से
करूँगा / करूँगी।
(दो) मेरे पास आजीविका का अन्य साधन नहीं है।

(तीन) मैं पथ विक्य प्रमाण पत्र अथवा उसमें विनिर्दिष्ट स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी प्रकार से, जिसमें किराया भी सम्मिलित है, हस्तान्तरित नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक

पथ विकेता का हस्ताक्षर

निकाय का नाम.....

क्रमांक.....

पथ विक्रय प्रमाण पत्र

(नियम-14देखें)

पथ विक्रेता का नाम श्री/श्रीमती.....

पिता/पति/पत्नी का नाम.....

वर्तमान निवास स्थान.....

नगर पथ विक्रय समिति की दिनांक की बैठक के विनिश्चय के अनुसार आप को
परिक्षेत्र-गें बाजार /मुहल्ला..... मार्ग.....

(वार्ड.....) में मीठ (..... वर्ग मीठ

क्षेत्रफल)

में अस्थायी रूप से प्रातः बजे रो राय..... बजे तक के लिए स्थिर पथ विक्रय
प्रमाण-पत्र/वल/साप्ताहिक बाजार विक्रय प्रगाण- पत्र 31 मार्च तक के लिए प्रदान की
जाती है, जिसका सीमांकन एवं प्रतिबन्ध निम्नवत होंगे-स्थिर पथ विक्रय की सीमांकन- पूर्व.....
पश्चिम.....

उत्तर.....

दक्षिण.....

निबंधन एवं शर्तें

- (एक) स्थिर पथ विक्रय हेतु स्थायी ढाचा का निर्माण करना प्रतिबंधित होगा;
- (दो) पथ विक्रेता को नगरीय पथ विक्रय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का नियमित रूप से, समय पर भुगतान करेगा,
- (तीन) पथ विक्रय के दौरान जनित अपशिष्ट सड़क, फुटपाथ, या नाली या सीधर में नहीं फेंका जायेगा। अपशिष्ट डर्स्टबिन में एकत्र किया जायेगा और घर-घर से अपशिष्ट एकत्र करने वाली नगरपालिका द्वारा अधिकृत एजेन्सी को हस्तगत कराया जायेगा। इस सेवा हेतु उन्हें मासिक प्रधोक्ता प्रभार भुगतान करना होगा।
- (चार) प्रत्येक पथ विक्रेता विक्रय-स्थल और उसके संलग्न क्षेत्र में स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा। खाद्य पदार्थ बेचने वाले पथ विक्रेता जन स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा।
- (पाँच) पथ विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित आवणिट रथल और समय पर ही पथ विक्रय किया जायेगा। इसका उल्लंघन अधिनियम और इस स्कीम का उल्लंघन माना जायेगा और पथ विक्रेता अधिनियम के प्राविधानों के अधीन नियत शास्ति जिसमें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निस्तीकरण भी सम्मिलित है, का दायी होगा,
- (छ) पथ विक्रेता नागरिक सुविधाओं का रख-रखाव और संलग्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- (सात) पथ विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि पथ विक्रय की गतिविधियों के कारण यातायात/वाहनों को सुगम प्रवाह और जन सुविधायें बाधित न हों।

पथ विक्रेता
की पासपोर्ट
साइज का
रंगीन
अद्यतन
फोटो

- (आठ) पथ विक्रेता प्रतिबन्धित वस्तुओं को नहीं बेचेंगे। वे ऐसी कोई गतिविधि कार्य/व्यापार/सेवा कार्य नहीं करेंगे जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों या लोक बाधा उत्पन्न करते हों।
- (नौ) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की, धारा 18 के प्राविधानों के अधीन स्थान की उपलब्धता पर संलग्न पथ विक्रय परिक्षेत्र में पथ विक्रेता पुनर्स्थापित किये सकते हैं।
- (दस) पथ विक्रेता, नगर पथ विक्रय समिति, नगर पालिका और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण करेगा।
- (चारह) पथ विक्रेता द्वारा उपरिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार शास्ति, जिसमें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है, पथ विक्रेता पर आरोपित की जायेगी।
- दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी
नगरीय पथ विक्रय समिति



नगरपालिका का नाम.....
 पथ विक्य प्रमाण पत्र रद्द किये जाने/निलम्बित किये जाने के लिये नोटिस
 (नियम 17 देखिये)

पत्रांक..... दिनांक.....

सेवा में

श्री/ श्रीमती..... पथ विकेता कोड संख्या.....
 पिता/पति का नाम..... वर्तमान निवास स्थान/पत्र व्यवहार का पता.....

आपके आवेदन पत्र के क्रम में नगरीय पथ विक्य समिति (Town Vending Committee) की स्वीकृति दिनांकद्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक.....
 दिनांकद्वारा आपको परिक्षेत्र—..... के अन्तर्गत बाजार/मुहल्ला
 मार्ग (वार्ड.....)में मी0 X मी0 (..... वर्ग मी0
 क्षेत्रफल) में स्थिर/चल पथ विक्य —कार्य संचालित किए जाने का प्रमाण पत्र (Certificate of Vending) उसमें अंकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया गया था।

1. अब, आपको सूचित करना है कि—

आपने अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई नियमावली या योजना के अन्तर्गत पथ विक्य को विभिन्नियमित करने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट निम्नलिखित नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है—
 (क).....
 (ख).....
 (ग).....

2. आपने पथ विक्य प्रमाण—पत्र त्रुटिपर्ण तथ्यों कपट और झूठी सूचनाओं के आधार पर प्राप्त किया है जो निम्नलिखित है/हैं—

(क).....
 (ख).....
 (ग).....

उपरोक्त के आलोक में आपसे दिनांक..... को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा आवश्यक अभिलेखों सहित अपना पथ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। आप द्वारा उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट समय में संतोषजनक रूपस्थीकरण देने में असफल रहने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपको इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। परिणामस्वरूप आपके पक्ष में निर्गत पथ विक्य प्रमाण—पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। विवेचना की अवधि में आपका पथ विक्य प्रमाण—पत्र निलम्बित रहेगा।

प्राधिकृत अधिकारी
 नगरीय पथ विक्य समिति

निकाय का नाम..... पथ विक्रेताओं के पुनर्स्थापन के लिये नोटिस
(नियम-19 देखें) दिनांक.....
पत्रांक.....

सेवा में, श्री / श्रीमती..... पथ विक्रेता का कोड संख्या.....
 पिता / पति का नाम..... वर्तमान निवास स्थान / पत्र व्यवहार का पता.....

आपके आवेदन पत्र के कम में नगर पथ विकाय समिति (Town Vending Committee) की स्वीकृति दिनांकद्वारा लिए गए निर्णय के कम में पत्रांकदिनांकद्वारा आपको जोन-..... के अन्तर्गत बाजार/मुहल्लामार्गमें सी० xसी० (.....वर्ग मी० क्षेत्रफल) में स्थिर/चल पथ विकाय संचालित किए जाने का प्रमाण पत्र (Certificate of Vending) उरामें अंकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया गया था।

आपको सुचित किया जाता है कि—

(एक) परिवहन के दबाव और अत्यधिक भीड़ और सड़क के चौड़ीकरण और अन्य विकास कार्यों के होने.

(दो) सड़क पर मेट्रो/फ्लाई ओवर का निर्माण प्रस्तावित हेने,

(दीन) परिक्षेत्र या उसका अंश को पथ विक्यारहित परिक्षेत्र घोषित होने.

(चार) यातायात और परिवहन के सुगम प्रवाह में बाधा होने,

(पार) यातायारा और आवाहन के लिए उपलब्ध होने।

(४) आपात्कालीन स्थिति होने

(मात) पथ विक्र्य परिद्धेत्र की समावेश क्षमता से अधिक पथ विक्रेता होने,

(सारा) पथ विक्रय पत्रक्र में कारण, निर्गत पथ विक्रय प्रमाण-पत्र में अंकित रथान और क्षेत्र में (आठ) अन्य-(विनिर्दिष्ट करें) के कारण, निर्गत पथ विक्रय प्रमाण-पत्र में अंकित रथान और क्षेत्र में पथ विक्रय कियाकलाप जारी रखना अनुमन्य नहीं है।

अतः आपको इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर पथ विक्षय प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान को खाली करने का निर्देश दिया जाता है।

आप द्वारा स्थान को खाली करने में असफल रहने की दशा में, नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि में व्यतीत होने के पश्चात् आप ऐसे दोष के लिए अधिनियम की धारा 18(5) के अन्तर्गत प्रति दिन अर्थदण्ड जो रु० 250/- तक हो सकता है, के भुगतान के दायी होंगे।

पुनः आप वर्तमान स्थान से निम्नलिखित स्थान या क्षेत्र में पुनरर्थापित किये जा सकते हैं-

- (1)
(2)
(3)

प्राधिकृत अधिकारी,
निकाय का नाम

निकाय का नाम.....

पथ विक्रेताओं के निष्कासन की नोटिस
(नियम-20 देखें)

पत्रांक.....

दिनांक.....

सेवा में

श्री / श्रीमती..... पथ विक्रेता कोड संख्या.....
पिता / पति का नाम..... वर्तमान निवास स्थान / पत्र व्यवहार का पता.....

आपके आवेदन पत्र के क्रम में नगर पथ विक्रय समिति (Town Vending Committee) की रखीकृति दिनांकद्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांकदिनांकद्वारा आपको परिक्षेत्र— के अन्तर्गत बाजार / मुहल्लामार्गमें मी० Xमी० (.....वर्ग मी० क्षेत्रफल) में स्थिर / चल पथ विक्रय संचालित किए जाने का प्रमाण पत्र (Certificate of Vending) उसमें अंकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया गया था।

आप को सूचित किया जाता है कि –

- (1) आप के पक्ष में जारी विक्रय प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत आदेश संख्या.....दिनांकद्वारा निरस्त किया जा चुका है।
- (2) आप बिना पथ विक्रय प्रमाण—पत्र के पथ विक्रय कार्य करते पाये गये।
- (3) कोई अन्य कारण.....

अतः एतद द्वारा आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि क्रम संख्या.....पर अंकित तथ्य के परिप्रेक्ष्य में आप पथ विक्रय कार्यस्थान / बाजार / मार्ग से हटा कर 30 दिन के अंदर खाली कर दें। नियत अवधि में आपके द्वारा उक्त स्थान खाली न करने पर अधिनियम की धारा 18 की उपधारा(4) के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करते हुए आपको भौतिक रूप से बेदखल कर दिया जाएगा और आपका सामान जब्त कर लिया जायेगा।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि व्यतीत हो जाने पर भी द्वारा विनिर्दिष्ट स्थाल का खाली करने में उसका रहने पर आप इस प्रकार व्यक्तिक्रम किये जाने पर रु०-250/- प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड के दायी होंगे।

प्राधिकृत अधिकारी,
निकाय का नाम



-२९-

निकाय का नाम
पथ विक्रेता का परिचय—पत्र
(नियम 22 देखिये)

क्रमांक.....

1. पथ विक्रेता कोड सं०—.....
2. पथ विक्रेता का नाम.....
3. पिता/पति/पत्नी का नाम.....
4. पता.....
5. टेलीफोन/मोबाइल नं०.....
6. कारबार की प्रकृति.....
7. श्रेणी (स्थिर/चल/साप्ताहिक बाजार का पथ विक्रेता).....
8. पथ विक्रय का स्थान./पथ विक्रय परिष्केत्र—.....
9. पथ विक्रय की अवधि —..... से तक
10. परिवार के नाम निर्देशिती का नाम.....
11. वैधता..... ?

पासपोर्ट
साइज का
अद्यतन
रंगीन फोटो

दिनांक:—

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
नगरीय पथ विक्रय समिति